कार्यालय मुख्य अभियंता, इन्दौर परिक्षेत्र,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर
दूरभाष 0731–2541498 फेक्स 0731–2536575
Email:cephedind@nic.in, cephedind@gmail.com
(An ISO 9001:2008 Certified Office)

क्रमांक 511 /तक/मु.अ./लो.स्वा.यां.वि./2018 इन्दौर दिनांक 15/1/18

प्रति,

अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंडल इन्दौर, खरगौन एवं उज्जैन

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड
इन्दौर, खण्डवा, बुरहानपुर, धार, सरदारपुर,
झाबुआ, आलीराजपुर, खरगौन, बडवानी, उज्जैन,
रतलाम, मन्दसौर, नीमच, देवास, शाजापुर एवं आगर–मालवा

विषय :– कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग–1 की कंडिका 2.080 के अनुसार निविदा आमंत्रण प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में दिशा निर्देश ।

संदर्भ :– प्रमुख अभियंता भोपाल का पत्र क्रमांक 329/मॉनी/प्र.अ./दिनांक 12.1.2018, ई–मेल से अग्रेषित

......00......

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । प्रमुख अभियंता भोपाल द्वारा निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा आमंत्रण प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक एफ–53/15/2012/19/यो.3920/दिनांक 8.7.2012 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सक्षम स्तर से निविदा आमंत्रण प्रारूपों के अनुमोदन के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुसार प्रमुख अभियंता एवं शासन के सक्षम/क्षेत्राधिकार की समस्त निविदाओं के निविदा प्रारूप का अनुमोदन मुख्य अभियंता द्वारा एवं मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री के सक्षम/क्षेत्राधिकार की सभी निविदाओं के निविदा प्रारूप का अनुमोदन कार्य विभाग नियमावली भाग–1 की कंडिका 2.080 (छायाप्रति संलग्न) के तहत यथावत क्रमशः मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा ही किया जावेगा ।

अतः निर्देश हैं कि अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री अपने अपने सक्षम/क्षेत्राधिकार (Authority competent to approve the tender, निविदा लागत की स्वीकृति की सीमा तक) की सभी निविदाओं के निविदा प्रारूप का अनुमोदन कार्य विभाग नियमावली भाग–1 की कंडिका 2.080 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

मुख्य अभियंता

पृ0क्रमांक 512 /तक./मु.अ./लोस्वायांवि/2018 इन्दौर, दिनांक 15/1/18

प्रतिलिपिः–

प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उपरोक्त संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।

मुख्य अभियंता

कार्यालय मुख्य अभियंता, इन्दौर परिक्षेत्र,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर
दूरभाष 0731–2541498 फेक्स 0731–2536575
Email:cephedind@nic.in, cephedind@gmail.com
(An ISO 9001:2008 Certified Office)

क्रमांक /तक/मु.अ./लो.स्वा.यां.वि./2018 इन्दौर दिनांक

प्रति,

अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंडल इन्दौर, खरगौन एवं उज्जैन

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड
इन्दौर, खण्डवा, बुरहानपुर, धार, सरदारपुर,
झाबुआ, आलीराजपुर, खरगौन, बडवानी, उज्जैन,
रतलाम, मन्दसौर, नीमच, देवास, शाजापुर एवं आगर–मालवा

विषय :– कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग–1 की कंडिका 2.080 के अनुसार निविदा आमंत्रण प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में दिशा निर्देश ।

संदर्भ :– प्रमुख अभियंता भोपाल का पत्र क्रमांक 329/मॉनी/प्र.अ./दिनांक 12.1.2018, ई–मेल से अग्रेषित

......**00**.......

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । प्रमुख अभियंता भोपाल द्वारा निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा आमंत्रण प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक एफ–53/15/2012/19/यो.3920/दिनांक 8.7.2012 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सक्षम स्तर से निविदा आमंत्रण प्रारूपों के अनुमोदन के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुसार प्रमुख अभियंता एवं शासन के सक्षम/क्षेत्राधिकार की समस्त निविदाओं के निविदा प्रारूप का अनुमोदन मुख्य अभियंता द्वारा एवं मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री के सक्षम/क्षेत्राधिकार की सभी निविदाओं के निविदा प्रारूप का अनुमोदन कार्य विभाग नियमावली भाग–1 की कंडिका 2.080 (छायाप्रति संलग्न) के तहत यथावत क्रमशः मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा ही किया जावेगा ।

अतः निर्देश हैं कि अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री अपने अपने सक्षम/क्षेत्राधिकार (निविदा लागत की स्वीकृति की सीमा तक) की सभी निविदाओं के निविदा प्रारूप का अनुमोदन कार्य विभाग नियमावली भाग–1 की कंडिका 2.080 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

मुख्य अभियंता

पृ0क्रमांक /तक./मु.अ./लोस्वायांवि/2018 इन्दौर, दिनांक
प्रतिलिपिः–

प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उपरोक्त संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।

मुख्य अभियंता

E:\TS\SE Back\DNIT approval power.doc

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल–462 003
दूरभाष क्रमांक (0755) 2779411–12

क्रमांक 329 / मोनि. / प्र.अ. / लोस्वायॉवि / 2018 भोपाल,दिनांक 12/1/18

प्रति,

1 **मुख्य अभियंता,**
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर / विद्युत यॉत्रिकी

2. **अधीक्षण यंत्री,**
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
समस्त मण्डल म.प्र.

3. **कार्यपालन यंत्री,**
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
समस्त खण्ड म.प्र.

T/S
15/1/18

विषय :– कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग–1 की कंडिका 2.080 के अनुसार प्रारूप निविदा (Draft N.I.T.) अनुमोदन के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भ :– लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 53 / 15 / 2012 / 19 / यो.3920 दिनांक 08.07.2012

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय कार्यपालन यंत्रियों द्वारा अवगत कराया गया है कि अधीक्षण यंत्रियों द्वारा उनके सक्षम / क्षेत्राधिकार की निविदाओं के निविदा प्रारूप (Draft N.I.T.) अनुमोदित न करते हुये निविदा प्रारूपों को मुख्य अभियंता की ओर अग्रेषित किया जा रहा है जिससे निविदा आमंत्रण की कार्यवाही में विलंब हो रहा है।

संदर्भित पत्र के माध्यम से लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदा प्रारूप (Draft N.I.T.) के अनुमोदन के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गये हैं :–

"प्रमुख अभियंता एवं शासन के सक्षम / क्षेत्राधिकार की समस्त निविदाओं के निविदा प्रारूप (Draft N.I.T.) का अनुमोदन मुख्य अभियंता द्वारा एवं मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री के सक्षम / क्षेत्राधिकार की सभी निविदाओं के निविदा प्रारूप का अनुमोदन कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग–1 की कंडिका 2.080 के तहत यथावत् क्रमशः मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा ही किया जावेगा।"

अतः समस्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री निविदा प्रारूपों का अनुमोदन उपरोक्त अनुसार निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करे।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की प्रति।

(के. के. सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 329 / मोनि. / प्र.अ. / लोस्वायॉवि / 2018 भोपाल, दिनाक 12/1/18

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख अभियंता

मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ–53 / 15 / 2012 / 19 / यो 2920 भोपाल, दिनांक

प्रति

प्रमुख अभियंता,
समस्त मुख्य अभियंता उज्जैन
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

विषय–कार्यविभाग नियमावली 1983 भाग–1 की कंडिका 2.080 के अनुसार प्रारूप निविदा (Draft N.I.T.) अनुमोदन के संबंध में दिशा निर्देश ।

म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 39 / 19 / यो / 2012 / 1553, दिनांक 2.3.2012 द्वारा कार्यविभाग नियमावली 1983 भाग–1 की कंडिका 2.080 में आंशिक संशोधन करते हुए परिपत्र के बिन्दु क्रमांक–2 में जारी –

"प्रमुख अभियंता एवं शासन के सक्षम / क्षेत्राधिकार की समस्त निविदाओं के निविदा प्रारूप (Draft N.I.T.) का अनुमोदन मुख्य अभियंता द्वारा एवं कार्यपालन यंत्री के सक्षम/क्षेत्राधिकार की सड़क कार्यों की निविदाओं के निविदा प्रारूप (Draft N.I.T.) का अनुमोदन अधीक्षण यंत्री द्वारा किया जायेगा । मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के सक्षम / क्षेत्राधिकार की शेष अन्य सभी निविदाओं के निविदा प्रारूप का अनुमोदन कंडिका 2.080 के तहत यथावत किया जावेगा ।"

आदेश को पुनः संशोधित कर एतद् द्वारा निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं –

"प्रमुख अभियंता एवं शासन के सक्षम / क्षेत्राधिकार की समस्त निविदाओं के निविदा प्रारूप (Draft N.I.T.) का अनुमोदन मुख्य अभियंता द्वारा एवं मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के सक्षम / क्षेत्राधिकार की सभी निविदाओं के निविदा प्रारूप का अनुमोदन कार्यविभाग नियमावली 1983 भाग–1 की कंडिका 2.080 के तहत यथावत क्रमशः मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा ही किया जावेगा ।"

एतद् द्वारा जारी उक्त संशोधन से कार्यपालन यंत्री के सक्षम/क्षेत्राधिकार के सड़क कार्यों की निविदाओं के निविदा प्रारूप के अनुमोदन के अधिकार पुनः कार्यपालन यंत्री को यथावत वापस सौंपे जाते है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5-7-12
(विजय सिंह वर्मा)
सचिव,
म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग

4318

कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन
दूरभाष नं. :– 0734–2524462, फैक्स नं 0734–2513591,
ई–मेल cepwdujjain@mp.nic.in

क्र. / ... / 10–11 / (भाग–2) / 2009–10 उज्जैन दिनांक 19-7-12

1 श्री अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग उज्जैन / देवास / शाजापुर / रतलाम / मंदसौर / नीमच / (पी / यू) उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है ।

condition that the drafts are encashed by accepting authority as soon as they are received and contracts are alloted only after the encashment of draft as per M.P.F.D. No. F/2/18/77/R/5/(iv). dated 13-2-'78.

2.080. Draft Notice inviting tender (N.I.T. documents) shall be approved before N.I.T. is issued by the authority competent to approve the tender. In case of tenders in the competence of State Government approval will be given by Engineer-in-Chief, P.W.D./ P.H.E.D. and by Chief Engineer in Irrigation Department.

2.081. No tender will be opened unless accompanied by the stipulated amount of earnest money in a separate sealed cover duly superscribed. Tenders not accompanied by earnest money will be returned to the tenderer unopened. Tender received from institutions approved by the Government for exemption need not be accompanied by earnest money.

2.082. At the advertised time and place all tenders received for the contract should be opened by the Officer inviting the tender (or any other officer authorised by him) in person, in the presence of such of the intending contractors or their agents as may choose to attend.

2.083. For tenders whose amount put to tender is more than Rs. 25 lakhs and for all lumpsum tenders the contractor should submit his offer in three sealed envelopes, suitably superscribed, one containing the earnest money, the second containing the terms and conditions and the third, the offer.